कार्यालय– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा– माध्य/मा–ब/22803/2017–18/ दिनांक : 10/7/2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक/माध्यमिक–प्रथम

विषय :–''राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2017'' के लिए निर्धारित समयावधि में ''राज्य स्तरीय चयन समिति'' को निर्धारित संख्या में आवेदन अग्रेषित करने हेतु अग्रिम कार्यवाही बाबत।

प्रसंग :–समसंख्यक पत्र दिनांक : 04.07.2018 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रांसगिक पत्र द्वारा आपको ''राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2017''के आवेदन एवं चयन प्रक्रिया हेतु संशोधित समय सारिणी के सम्बन्ध में अवगति प्रदान की गई थी । उक्तानुसार जैसा कि आपको विदित है कि केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक : 15.06.2018 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2017 हेतु जारी किए गए संशोधित दिशा–निर्देशानुसार गठित की जाने वाली तीन सदस्यी''जिला स्तरीय चयन समिति'' में आपको अध्यक्ष का दायित्व प्रदान किया गया है । उल्लेखित दिशा–निर्देशानुरूप ''जिला स्तरीय चयन समिति'' के अन्य दो सदस्य अग्रांकित विवरणानुसार है :–

(1) राज्य सरकार का प्रतिनिधि ।

(2) सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा नामित प्रतिष्ठित शिक्षाविद् ।

उपर्युक्त विवरणानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधि नामित किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके सम्बन्ध में अवगति शीघ्रताशीघ्र आपको प्रदान कर दी जाएगी। समिति के दूसरे सदस्य के नामांकन हेतु आप अपने जिले के जिला कलक्टर महोदय से तत्काल सम्पर्क–समन्वय स्थापित कर प्रतिष्ठित शिक्षाविद् का नामांकन करवाया जाना सुनिश्चित करें। इस क्रम में अग्रांकित बिन्दु के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही यथासमय प्रारम्भ कर निर्धारित समयावधि में सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करें :–

- केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा ''जिला स्तरीय चयन समिति'' के लॉगिन–पासवर्ड सम्बन्धित जिला कलक्टर महोदय को ई–मेल द्वारा भिजवाये जाएंगे। उक्तानुसार जिला कलक्टर महोदय से अग्रिम सम्पर्क–समन्वय स्थापित कर ऑन लाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटनी एवं छंटनी उपरांत वरीयता में प्रथम तीन आवेदकों के आवेदन ''राज्य स्तरीय चयन समिति'' को अग्रेषित किए जाने की कार्यवाही निर्धारित समयावधि (दिनांक : 24.07.2018 तक) में सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

''राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2017'' के आवेदन की अंतिम तिथि एवं तदुपरांत ''जिला स्तरीय चयन समिति'' द्वारा सम्पादित की जाने वाली कार्यवाही की तिथियां सन्निकट होने के दृष्टिगत उपर्युक्त निर्देशित कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जानी अपेक्षित है ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक ,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
3. समस्त जिला कलक्टर गण को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को अग्रिम सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर ।
6. समस्त उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा को क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
9. रक्षित पत्रावली ।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर